भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 579

06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी लाभार्थियों की आवास आवश्यकता

579. श्री अनूप संजय धोत्रेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) से संबंधित लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत कितने मकान स्वीकृत, निर्माणाधीन और कितने आवासों का निर्माण पूरा किया गया है;

(ग) वर्ष 2025 से 2029 के दौरान शहरी क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) लाभार्थियों द्वारा कब्जा प्राप्त किए गए मकानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनुमोदित आवासों को शीघ्र पूरा करने के लिए इस योजना को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ड.) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में आवास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई) का कार्यान्वयन 25 जून, 2015 से कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करके पक्के आवास उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-यू के तहत, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवासों

को स्वीकृति दी गई है, जिनमें आज की स्थिति के अनुसार ईडब्ल्यूएस के लिए 98.76 लाख आवास, एलआईजी के लिए 13.79 लाख आवास और एमआईजी लाभार्थियों के लिए 6.08 लाख आवास शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों की संख्या का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण हो चुके आवास और लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने की सलाह दी गई है ताकि सभी आवासों का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन से प्राप्त 9 वर्षों के अनुभव से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थी किफायती लागत पर आवास बना, निर्माण, खरीद तथा उन्हें किराये पर ले सकें। आज तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के प्रचालन दिशानिर्देश 17.09.2024 को जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने तथा प्रचालन दिशानिर्देशों के लिए यूनिफाइड बेवपोर्टल **https://pmay-urban.gov.in** पर देखा जा सकता है।

*****

दिनांक 06-02-2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 579 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवासों की वास्तविक प्रगति का विवरण

क्र. सं.	विवरण	पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियां			योजना की शुरूआत से लेकर अब तक उपलब्धियां
		2021-22	2022-23	2023-24	
1	स्वीकृत आवास (संख्या में)	17,99,648	9,91,067	4,68,111	118,63,538
2	निर्माणाधीन आवास (संख्या में)*	16,25,289	13,16,910	4,14,797	112,50,243
3	पूर्ण किये गये आवास (संख्या में)*	10,28,829	15,42,952	8,87,813	90,24,803

* इसमें उस वर्ष में वे निर्माणाधीन और पूर्ण आवास शामिल हैं, जो पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत किए गए थे।

******

दिनांक 06-02-2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 579 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत सौंपे गए आवासों सहित आवासों की राज्य-वार वास्तविक प्रगति

क्र. सं.		राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत आवास (संख्या में)	निर्माणाधान आवास (संख्या)	निर्मित/आबंटित आवास (संख्या)	सौंपे गए आवास (संख्या)
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	21,37,028	18,60,056	10,30,079	9,44,248
2		बिहार	3,14,477	2,92,162	1,70,997	1,70,946
3		छत्तीसगढ़	3,02,663	2,85,401	2,51,509	2,33,004
4		गोवा	3,146	3,146	3,145	3,145
5		गुजरात	10,05,204	9,79,808	9,37,731	8,91,187
6		हरियाणा	1,15,034	90,388	69,746	69,730
7		हिमाचल प्रदेश	12,758	12,640	11,045	11,027
8		झारखंड	2,29,156	2,10,585	1,54,278	1,51,130
9		कर्नाटक	6,38,121	5,12,798	3,86,370	3,41,876
10		केरल	1,67,322	1,53,963	1,31,218	1,31,117
11		मध्य प्रदेश	9,61,147	9,45,073	8,47,378	8,37,232
12		महाराष्ट्र	13,64,923	10,88,063	8,82,715	8,06,341
13		ओडिशा	2,03,380	1,85,683	1,58,388	1,55,381
14		पंजाब	1,32,235	1,18,448	95,561	95,259
15		राजस्थान	3,19,877	2,94,161	2,18,655	2,11,674
16		तमिलनाडु	6,80,347	6,61,343	5,97,450	5,42,675
17		तेलंगाना	2,50,084	2,34,737	2,23,329	1,64,811
18		उत्तर प्रदेश	17,76,823	17,59,189	16,75,092	16,41,653
19		उत्तराखंड	64,391	62,698	39,002	37,470
20		पश्चिम बंगाल	6,68,953	6,08,671	4,45,199	4,44,959
उप-योग (राज्य) :-			1,13,47,069	1,03,59,013	83,28,887	78,84,865
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8,499	8,070	8,066	6,850
22		असम	1,76,643	1,69,010	1,18,928	1,18,928
23		मणिपुर	56,037	50,500	16,719	16,719
24		मेघालय	4,758	4,026	1,835	1,835
25		मिजोरम	39,605	39,090	24,243	24,243
26		नागालैंड	31,860	31,052	26,546	26,514
27		सिक्किम	316	299	202	202
28		त्रिपुरा	92,854	87,718	76,855	76,855
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य) :-			4,10,572	3,89,765	2,73,394	2,72,146
29	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	376	376	47	47
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256	1,256
31		दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	9,947	9,947	9,230	7,992
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976	29,976
33		जम्मू और कश्मीर	47,040	42,036	29,258	29,258
34		लद्दाख	1,307	991	876	876
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-
36		पुदुचेरी	15,995	15,925	10,765	10,765
उप-योग (यूटी) :-			1,05,897	1,00,507	81,408	80,170
कुल योग :-			118.64 लाख	112.50 लाख*	90.25 लाख*	87.17 लाख*

* इसमें मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण हो चुके (3.41 लाख)/निर्माणाधीन (4.01 लाख)/सौंपे गए (4.80 लाख) आवास शामिल हैं।